

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक : 199/25

दिनांक 27.9.21

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री मोहनलाल पुत्र/पुत्री/पति काल राम न प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बगौरा पटवार मण्डल बारां तहसील छबड़ा
जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076 के खाता संख्या 23 में खातेदार/गैरखातेदार का
नाम/जाति चकार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से
वरवा अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी बारां
से करवाने पर पटवारी ने चकार के बजाय वरवा
करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में
के बजाय वरवा करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956
एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (सं. अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
ग्राम बगौरा के खाता संख्या 23 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चकार
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से वरवा दर्ज कराने का
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां